कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक 833 /स्व0भा0मि0(ग्रा0)/डी0पी0सी0/पंचायत/2021 दिनाँक : 08/01/2021

समस्त,
सहायक विकास अधिकारी(पं0),
जनपद–हाथरस।

विषय : "सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव हेतु नामित स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर का पर्याप्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में"।

उपरोक्त विषयक आप अवगत ही हैं शासन स्तर से चार दिवसीय अभियान के दौरान जनपद की अब तक 397 ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव हेतु स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर को तीन माह हेतु निर्धारित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान तथा जिला कन्सलटेंट, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के सत्यापन के दौरान अधिकांश स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर को सामुदायिक शौचालय के खोलने एवं बन्द करने के समय तथा रख–रखाव के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं। स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर को निम्नवत बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए :–

1. सामुदायिक शौचालय को प्रत्येक दशा में प्रातः 04:30 बजे खोल दिया जाए तथा रात को 08 बजे के उपरान्त ही बन्द किया जाए।
2. सामुदायिक शौचालय पर उपरोक्त निर्धारित अवधि में केअरटेकर स्वयं अथवा केअरटेकर के अनुपस्थित होने की दशा में उसके द्वारा नामित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, जिससे सामुदायिक शौचालय में होने वाली क्षति नगण्य होंगी।
3. सामुदायिक शौचालय रख–रखाव एवं संचालन हेतु साफ–सफाई सामग्री/उपकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं उसके उपयोग बारे में भी जानकारी दी जाए।
4. सामुदायिक शौचालय पर एक उपयोगकर्ताओं के विवरण हेतु रजिस्टर एवं एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखी जाए, जिससे उपयोगकर्ताओं/प्रधान/सचिव/उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय उसमें अपनी शिकायत/सुझाव दर्ज कर सके।
5. स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर को यह भी अवगत करा दिया जाए कि सामुदायिक शौचालय का औचक निरीक्षण ग्राम पंचायत स्तर/विकास खण्ड स्तर/जनपद स्तर/शासन स्तर से निर्धारित समयावधि के दौरान कभी भी किया जा सकता है सामुदायिक शौचालय पर अनुपस्थिति/सामुदायिक शौचालय परिसर गन्दा पाये जाने/रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्री की अनुपलब्धता होने पर सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी सम्पादित की जायेगी।
6. सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव व संचालन के सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा साप्ताहिक रूप से औचक निरीक्षण करते हुए नियमित पर्याप्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के उत्तरदायी होंगे। उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत/कमियॉ मिलती हैं तो सम्बन्धित सचिव/प्रधान, ग्राम पंचायत को पर्याप्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण न करने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
7. ग्राम पंचायत में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को सामुदायिक शौचालय परिसर के उपयोग करने के लिये स्वयं सहायता समूह/केअरटेकर/स्वच्छाग्रही/सचिव/ प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा प्रेरित किया जाये।
8. सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव हेतु प्रतिमाह निर्धारित धनराशि रू0 9000/– में निम्नानुसार विस्तार से अवगत कराया जाए –

Scanned with CamScanner

रख–रखाव व मरम्मत हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
सफाई कर्मी / केअरटेकर	दिन में कम से कम दो बार सफाई तथा उपयोग के आधार पर आवश्यकतानुसार सफाई	रू0 6000 / प्रतिमाह
मरम्मत	बिजली, प्लम्बिंग, नल व टोंटी, मरम्मत	रू0 500 / प्रतिमाह
साफ–सफाई की सामग्री	झाडू, ब्रश, वाइपर, स्पंज कपड़े, डण्डे युक्त पोंछा(मोप फ्लोर क्लीनर), बाल्टी मग आदि	रू0 200 / प्रतिमाह की दर से (छः माह हेतु धनराशि रू0 1200)
निःसंक्रामक सामग्री	साबुन, वॉशिंग पाउडर, एयरफ्रेशनर, ग्लब्स, हार्पिक, मास्क, एप्रेन, दस्ताने	रू0 1000 / प्रतिमाह
यूटिलिटी चार्जेज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	रू0 1000 / प्रतिमाह
अन्य		रू0 300 / प्रतिमाह

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(बनवारी सिंह),
जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

पत्रांक व दिनाँक उक्तवत।

प्रतिलिप : निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) महोदय अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हाथरस।
5. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, जनपद हाथरस को अनुपालनार्थ।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

Scanned with CamScanner

रख–रखाव व मरम्मत हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
सफाई कर्मी / केअरटेकर	दिन में कम से कम दो बार सफाई तथा उपयोग के आधार पर आवश्यकतानुसार सफाई	रू0 6000 / प्रतिमाह
मरम्मत	बिजली, प्लम्बिंग, नल व टोंटी, मरम्मत	रू0 500 / प्रतिमाह
साफ–सफाई की सामग्री	झाडू, ब्रश, वाइपर, स्पंज कपड़े, डण्डे युक्त पोंछा(मोप फ्लोर क्लीनर), बाल्टी मग आदि	रू0 200 / प्रतिमाह की दर से (छः माह हेतु धनराशि रू0 1200)
निःसंक्रामक सामग्री	साबुन, वॉशिंग पाउडर, एयरफ्रेशनर, ग्लब्स, हार्पिक, मास्क, एप्रेन, दस्ताने	रू0 1000 / प्रतिमाह
यूटिलिटी चार्जेज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	रू0 1000 / प्रतिमाह
अन्य		रू0 300 / प्रतिमाह

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0

(बनवारी सिंह),
जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

पत्रांक व दिनाँक उक्तवत।

प्रतिलिप : निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) महोदय अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद हाथरस।
5. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, जनपद हाथरस को अनुपालनार्थ।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

Scanned with CamScanner